

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

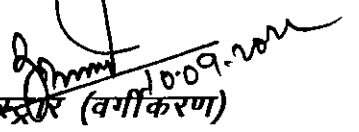
आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 114 /2022 दिनांक :10.09.2022

श्रीमती मोनिका खीचड़ (RJ1083), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी (झुंझुनू) को दिनांक 12.09.2022 से 17.09.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 10.09.2022 से 11.09.2022 एवं 18.09.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती खीचड़ की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी (झुंझुनू) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी (झुंझुनू) के पद पर ही होने की संभावना है।

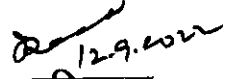
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/71/2016/ 6205

दिनांक : 10.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू को उनके पत्रांक 7275 दिनांक 26.08.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती मोनिका खीचड़ (RJ1083), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी (झुंझुनू)
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी (झुंझुनू)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी (झुंझुनू)।


सहायक रजिस्ट्रार